राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 20/2024

गिरिराज प्रसाद —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, गृह विभाग ग्रुप–1, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 04.01.2024
आदेश की दिनांक : 08.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्रीमती खुशबू कोठारी, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी सहायक उप निरीक्षक के पद पर पुलिस स्टेशन मानटाउन, सवाईमाधोपुर में पदस्थापित था और अब डी.आई.जी भरतपुर रेंज, भरतपुर के अधीन कार्यरत है। अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, संशोधित 2013 धारा 120बी आईपीसी के साथ पुलिस स्टेशन एसीबी जयपुर में एफआईआर संख्या 134/2022 दर्ज की गई और अपीलार्थी को गिफ्तार कर लिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.06.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत निलम्बित कर दिया गया और अपीलार्थी का मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाईन सवाईमाधोपुर कर दिया गया। जांच अधिकारी ने ए.सी.बी न्यायालय भरतपुर में आरोप पत्र दायर किया और मुकदमा संख्या 05/2023 राज्य बनाम गिरिराज के रूप में दर्ज किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.08.2023 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। अपीलार्थी पहले दिन से अभी भी निलम्बित है। अपीलार्थी ने दिनांक 07.12.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निलम्बन से बहाल करने का निवेदन किया परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के निलम्बन आदेश को बहाल किया जावे तथा अपीलार्थी को बकाया राशि सहित स्वीकार्य भत्ते दिए जाने का निर्देश दिया जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य